क्रमांक-2003

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

संः– पथ–110 (BLAQRMS No.–2883) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ–77 नरहैया के निकट से समेली गांव होते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ–31 क्रॉस कर मधेली–बरारी एवं रोनिया होते हुए कटिहार नगर के शरीफगंज तक जानेवाली पथ को पथ निर्माण विभाग द्वारा विगत छः माह पूर्व अधिग्रहण कर लिया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि इस पथ का प्राक्कलन मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग द्वारा जाँच हेतु केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना को भेजा जा चुका है। यह योजना RIDF के अन्तर्गत चयनित है।
2. क्या यह बात सही है कि यातायात की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण एवं कई प्रखंडों को कटिहार शहर से जोड़ने वाली उक्त पथ जर्जर है जिससे आमजनता को आवागमन में असुविधा होती है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त पथ का सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

क्रमांक – 2011

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री ललन पासवान, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–10 (BLAQRMS No.–257) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत कुदरा चेनारी एस0एच0 पथ से महलर से नारायणपुर होते हुए शिवसागर चेनारी एस0एच0 पथ तक एवं चेनारी प्रखंड के बसनारा से सदोखर, तर्की होते चेनारी–शिवसागर एस0एच0 पथ तक की सड़क ग्रामीण कार्य विभाग में है;	तारांकित प्रश्न दो पथों से संबंधित है, जो इस प्रकार है :– 1. रोहतास जिलान्तर्गत कुदरा–चेनारी एस0एच0 पथ के महलर से नारायणपुर होते हुए शिवसागर चेनारी एस0एच0 पथ तक। 2. रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी प्रखंड से बसनारा से सदोखर, तर्की होते चेनारी–शिवसागर एस0एच0 पथ तक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों पथों से बसनारा, तर्की एवं किनरचोला, मथहीं सहित पच्चासों गाँवों का आवागमन होता है जिसके जर्जर रहने से आमजनता को आवागमन में परेशानी होती है, इन दोनों पथों को पथ निर्माण विभाग से परिवर्तित कर देने से पच्चासों गाँवों में सुविधा हो जाएगी;	उक्त दोनों पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन है। क्रमांक (1) में वर्णित पथ वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लिए सड़क सम्पर्क (RCPLWEA) योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। इस पथ की कुल लम्बाई 9.05 कि0मी0 है, जिसका प्राक्कलन स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। क्रमांक (2) में वर्णित पथ की लम्बाई 14.30 कि0मी0 है। शिवसागर–चेनारी पथ से सदोखर तक, कुल लम्बाई 7.50 कि0मी0 RCPLWEA योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। इसका प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों पथों को पथ निर्माण विभाग में शामिल कर निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	शेष 6.80 कि0मी0 पथांश ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधीन है। इस अतिरिक्त लम्बाई की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

क्रमांक–2021

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री चन्दन कुमार, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– ग्राम्य–402 :–

क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया बखड़ी पी0डब्लू0डी0 पथ में बेला से रानी सकरपुरा तक कच्ची सड़क रहने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त पथ का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ परिहारा से ईमली रेलवे स्टेशन होते हुए कोनिया के नाम से पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिगृहित है। यह कार्य वर्ष 2019–20 के कार्य योजना में प्रस्तावित है।

क्रमांक - 2025

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : 6/पथ/ता0प्र0 (वि0स0) 06–173/2019 6721(s) पटना, दिनांक : 23/7/19

प्रेषक,

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : **माननीय श्री रामदेव राय, स०वि०स० द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में पूछा जाने वाला तारां०प्र०सं०–111 (BLAQRMS No.-3354) का हस्तान्तरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन (छायाप्रति संलग्न) के आधार पर बिहार विधान सभा के ज्ञाप सं0–2052 दिनांक–18.07.2019 (BLAQRMS No.-3354) से प्राप्त तारांकित प्रश्न ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना से संबंधित है। अतः प्राप्त पत्र एवं प्रश्न मूल रूप में आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तान्तरित किया जाता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर सभा सचिवालय को ग्रामीण कार्य विभाग के स्तर से देने की कृपा की जाय। इस आशय की सूचना सभा सचिवालय को अलग से दी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
23/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6721(s) पटना, दिनांक : 23/7/19

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–2052 दिनांक–18.07.2019 (BLAQRMS No.-3354) के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रश्न को पथ निर्माण विभाग की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

23/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6721(s) पटना, दिनांक : 23/7/19

प्रतिलिपि, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6721(s) पटना, दिनांक : 23/7/19

प्रतिलिपि, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक-2026

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : 6/पथ/ता0प्र0 (वि0स0) 06–86/2019 6072(S) पटना, दिनांक : 3/7/19

प्रेषक,

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

उप सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : माननीय श्री गुलाब यादव, स०वि०स० द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में पूछा जाने वाला तारां०प्र०सं०–(BLAQRMS No.-1080) का हस्तान्तरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन (छायाप्रति संलग्न) के आधार पर बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न (BLAQRMS No.-1080) नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना से संबंधित है। अतः प्राप्त प्रश्न की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तान्तरित किया जाता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर सभा सचिवालय को नगर विकास एवं आवास विभाग अपने स्तर से देने की कृपा करेंगे। इस आशय की सूचना सभा सचिवालय को अलग से दी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
3/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6072(S) पटना, दिनांक : 3/7/19

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रश्न को पथ निर्माण विभाग की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

3/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6072(S) पटना, दिनांक : 3/7/19

प्रतिलिपि, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6072 S) पटना, दिनांक : 3/7/19

प्रतिलिपि, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक - 2036

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री डॉ0 राजेश कुमार, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं0:– पथ–108 (BLAQRMS No.–3377) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मेहषी प्रखंड कटहा घाट पुल बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा बनवाया जा रहा है, जिसमें अभी तक वहां के किसानों द्वारा लिया गया जमीन का राशि अभी तक भुगता नहीं किया गया है, किसान द्वारा मुआवजे की मांग करने पर संवेदक द्वारा रंगदारी की मुकदमा दर्ज कर दिया है और किसानों के जमीनों का मुआवजा देने में आनाकानी कर रहा है तो क्या सरकार उक्त वर्णित किसानों का जमीन का मुआवजा के साथ–साथ केस वापस लेने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहषी प्रखण्ड के कटहा घाट पुल एवं पहुँच पथ में ली जाने वाली भूमि के लिए भू–स्वामियों के भुगतान हेतु वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, कार्य प्रमंडल, चम्पारण (मोतिहारी) द्वारा रू0 2.00 करोड़ मात्र की राशि का चेक जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को हस्तगत करा दी गई है। भू–अर्जन कार्यालय, मोतिहारी द्वारा धारा–11 प्रक्रियाधीन है। संवेदक द्वारा किसानों पर किये गये प्राथमिकी में माननीय न्यायालय में सुलहनामा दाखिल किया गया है।

क्रमांक – 2054

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

संo:– पथ–97 (BLAQRMS No.–2929) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया प्रखण्ड के गंडक नदी के सत्तर घाट पर पुल का निर्माण कार्य जून, 2019 तक पूर्ण कर लेना था जो अबतक नहीं हो पाया है, यदि हाँ तो अभी तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने का क्या औचित्य है ?	स्वीकारात्मक है। पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया–केसरिया–सत्तरघाट पथ के 27वें कि0मी0 में गंडक नदी पर 24x60 मी0 आकार का उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य में 24 स्पैन में 23 स्पैन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, शेष एक स्पैन के लिए स्टेजिंग सटरिंग का कार्य चल रहा था। परन्तु गंडक नदी में एकाएक पानी आ जाने के कारण कार्य बाधित हो गया है। जिससे एक स्पैन का कार्य बरसात बाद शुरू कर दिया जाएगा। दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्रमांक - 2056

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री अमर नाथ गामी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–101 (BLAQRMS No.–3136) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड अन्तर्गत हायाघाट बाजार से अशोक पेपर मिल होते हुए जिला मुख्यालय तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई दस फीट है, जबकि हायाघाट से जिला मुख्यालय जाने का यह मुख्य मार्ग है, जिससे उक्त मार्ग पर हमेशा भाड़ी वाहनों का आना–जाना लगा रहता है, परन्तु सड़क की चौड़ाई कम रहने के कारण बराबर अप्रिय घटना घटती रहती है;	हायाघाट बाजार से अशोक पेपर मिल तक पथ ग्रामीण कार्य विभाग से नव अधिगृहित पथ है। इस पथ के निर्माण का IRQP हेतु, कार्य योजना 2019–20 में प्रस्तावित है। इसके चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अशोक पेपर मिल से जिला मुख्यालय तक की सड़क पूर्व से ही पथ निर्माण विभाग के अधीन है, जिसका संधारण OPRMC-2 के अन्तर्गत किया जा रहा है।
2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

क्रमांक–2057

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री राघव शरण पाण्डेय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–104 (BLAQRMS No.–3290) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिला के शेरहवा–इनारबरवा के बीच मसान नदी पर आर0सी0सी0 पुल का उद्घाटन दिनांक 11.06.2013 को किया गया था परन्तु निम्रण के 6 वर्ष उपरान्त ही पाया टूट जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बगहा एवं रामनगर के दर्जनों गाँवों की जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक–824 WC-1 दिनांक 18.04.2019 के द्वारा पाया धँसने की जाँच हेतु निदेशक, NIT, Patna से अनुरोध किया गया है। NIT, Patna के विशेषज्ञों द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण दिनांक 28.04.2019 को किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।
2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पुल निर्माण कार्य की जाँच कराते हुए पुल का पुनर्निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

ता० – 2072

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री अब्दुल सुबहान, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

संः– पथ–27 (**BLAQRMS No.–774**) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत डगरूआ प्रखंड के एन0एच0–31 बरसौनी से बड़ा इदगाह जाने वाली सड़क कम चौड़ी होने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	यह पथ बरसौनी चौक (एन0एच0–31) से शुरू होती है तथा रतनसौती चौक तक जाती है। पथ की लम्बाई 20.00 कि0मी0 है तथा पथ अच्छी स्थिति में है। पथ का Carriage Way 3.05m है। किन्तु पथ का ROW (Right of Way) 4.0m से 5.0m होने के कारण चौड़ीकरण करने में कठिनाई है।

क्रमांक-2079

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री अरूण कुमार, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ– (BLAQRMS No.–3322) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि आरा जिला के संदेश विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संदेश प्रखण्ड के अखगांव बाजार में तथा कोईलवर प्रखण्ड के सकड़ी गांव में सड़क जर्जर है तथा जल–जमाव रहता है, जिससे आम लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक जल निकासी हेतु नाला निर्माण के साथ–साथ उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा BSHP-II के अंतर्गत राज्य उच्च पथ सं०–81 (सकड्डी–नासरीगंज) पथ के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को प्राधिकृत किया गया था। अनुमोदित रेखांकन के अनुसार राज्य उच्च पथ सं०–81 (सकड्डी–नासरीगंज) पथ परियोजना में प्रस्तावित बाईपासों (सकड्डी एवं अखगाँव बाईपासों) का निर्माण कार्य पूर्ण कर यातायात का परिचालन किया जा रहा है। प्रसंगाधीन पथांश अब एस0एच0–81 का Left Over भाग है। इस भाग में सड़क निर्माण एवं नाली निर्माण की कारवाई प्रक्रियाधीन है।

तारांकित-2082

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री मुजाहिद आलम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–99 (BLAQRMS No.–1770) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज–बहादुरगंज पथ निर्माण विभाग की सड़क के छठे किलोमीटर भेरियाडागी में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पुल का निर्माण मार्च 2018 से कराया जा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि विषयांकित पुल निर्माण कार्य की प्रारम्भ की तिथि 28.03.2018 एवं समाप्ति की तिथि 27.09.2019 है। प्रस्तावित पुल निर्माण स्थल के बगल में डायवर्सन का निर्माण किया गया है, जिससे वर्तमान में आवागमन जारी है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त मार्ग जिले का सबसे व्यस्त मार्ग है, जो जिले की 75 प्रतिशत आबादी को जिला मुख्यालय से जोड़ती है, परन्तु संवेदक द्वारा उक्त पुल का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से कराया जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य ससमय पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 6/पथ/ता०प्र०(वि०स०) 06–157/2019 6602 (S) पटना, दिनांक : 19/07/19

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1988 दिनांक 16.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6602 (S) पटना, दिनांक : 19/07/19

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6602 (S) पटना, दिनांक : 19/07/19

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक - 2083

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय डॉ0 फैयाज अहमद, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–76 (BLAQRMS No.–2369) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंडान्तर्गत दमला घाट पर पुल निर्माण विभाग द्वारा पुल का निर्माण विगत तीन वर्ष पूर्व किया गया है, परन्तु आजतक पुल का एप्रोच पथ का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण आमजनों को आवागमन में कठिनाई हो रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि पुल का निर्माण तीन वर्ष पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है। निर्मित पुल के कमतौल तरफ के पहुँच पथ का कार्य कालीकरण सहित पूर्ण कर लिया गया है, परंतु भू–अर्जन के कारण बिस्फी तरफ के पहुँच पथ में सिर्फ मिट्टी का कार्य कराया जा सका है तथा शेष कार्य बाधित है। वर्त्तमान में इस पुल से होकर यातायात का परिचालन हो रहा है।
2. यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पुल की महत्ता बनाये राने के लिए जनहित में पुल का एप्रोच पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

क्रमांक-2088

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–106 (BLAQRMS No.–3323) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा–2 प्रखण्ड के बगहा–सिंधाव हरनाटांड सड़क 2.75 मी० चौड़ी होने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है, जबकि बगहा–2 में स्थित हरना टॉड थरूहटा की राजधानी कही जाती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	पथ के चौड़ीकरण का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2019–20 के कार्य योजना में प्रस्तावित है।

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 6/पथ/ता०प्र०(वि०स०) 06–161/2019 6638(S) पटना, दिनांक : 21/7/19

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2033 दिनांक 18.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 21/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6638(S) पटना, दिनांक : 21/7/19

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 21/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6638(S) पटना, दिनांक : 21/7/19

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 21/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

तारांकित-2098

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्रीमती मंगीता देवी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–79 (BLAQRMS No.–2505) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखण्ड के एन0एच0–77 गाढ़ा पेट्रॉल पम्प से गाढ़ा, प्रेमनगर होते हुए सुभई एन0एच0–77 तक पी0डब्लू0डी0 सड़क काफी जर्जर स्थिति में है;	उक्त पथ का IRQP कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क एन0एच0–77 के बन जाने के कारण जर्जर स्थिति में है जिसके कारण आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 6/पथ/ता०प्र०(वि०स०) 06–137/2019 6597 (S) पटना, दिनांक : 19/07/19

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1885 दिनांक 12.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19/7/19

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6597 (S) पटना, दिनांक : 19/07/19

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19/7/19

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6597 (S) पटना, दिनांक : 19/07/19

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 19/7/19

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक – 2103

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : 6/पथ/ता0प्र0 (वि0स0) 06–134/2019 पटना, दिनांक : 22/7/19
6676(S)

प्रेषक,

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : माननीय श्रीमती एज्या यादव, स०वि०स० द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में पूछा जाने वाला तारां०प्र०सं०–82(**BLAQRMS No.-1783**) का हस्तान्तरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2584 (ई०) डब्लूई0 दिनांक–03.04.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रश्नाधीन पीपा पुल ग्रामीण कार्य विभाग के पहुँच पथ में बनाये जाने के कारण पीपा पुल का निर्माण कार्य की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग से देने हेतु संबंधित मूल प्राक्कलन वापस किया गया है। अतः बिहार विधान सभा के ज्ञाप सं0–1886 दिनांक–12.07.2019 (BLAQRMS No.-1783) से प्राप्त तारांकित प्रश्न ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना से संबंधित होने के कारण प्राप्त पत्र एवं प्रश्न मूल रूप में आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तान्तरित किया जाता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर सभा सचिवालय को ग्रामीण कार्य विभाग के स्तर से देने की कृपा की जाय। इस आशय की सूचना सभा सचिवालय को अलग से दी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
(ह०) 22/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6676(S) पटना, दिनांक : 22/7/19

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–1886 दिनांक–12.07.2019 (BLAQRMS No.-1783) के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रश्न को पथ निर्माण विभाग की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

(ह०) 22/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6676(S) पटना, दिनांक : 22/7/19

प्रतिलिपि, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 22/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6676(S) पटना, दिनांक : 22/7/19

प्रतिलिपि, मुख्य अभियंता(बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 22/7/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक – 2104

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री अख्तरूल इसलाम शाहीन, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

संः– पथ–90 (BLAQRMS No.–2664) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता (या0) ने ज्ञापांक–3170 दिनांक–26.09.2018 द्वारा समस्तीपुर जिला में पथ प्रमंडल समस्तीपुर अन्तर्गत मगरदी घाट से सिलौत (दुर्गा स्थान) पथ में कुल 5.00 कि0मी0 पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राक्कलन का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को भेजा है;	विषयांकित पथ का प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
2. क्या यह बात सही है कि विभाग ने अभी तक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान नहीं किया है, जिसके कारण उक्त पथ का निर्माण कार्य अभी तक नहीं होने के कारण आमलोगों को यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

क्रमांक–2114

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री नौशाद आलम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:–ग्राम्य–385 :–

क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत ठाकुरगंज प्रखण्ड के गलगलिया के पास नेपाल सरकार द्वारा नेपाल में मेची नदी पर पुल बनाया गया है एवं आवागमन भी चालू है;	प्रश्नाधीन पथ का प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
2. क्या यह बात सही है कि गलगलिया KTTG सड़क से उक्त वर्णित पुल तक जाने वाली पहुँच पथ कच्ची एवं संकीर्ण है, जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गलगलिया KTTG सड़क से नेपाल के मेची नदी पर निर्मित पुल तक जाने वाली पहुँच पथ का पक्कीकरण एवं चौड़ीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

क्रमांक-2127

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री वशिष्ठ सिंह, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–33 (BLAQRMS No.–1043) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड–करगहर में करगहर–बड़हरी–धर्मपुरा पथ 18 कि0मी0 एवं बरांव–जहानाबाद पथ 30 कि0मी0 ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क है;	पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। नई अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों सड़क दो प्रखण्डों को जोड़ता है एवं करगहर प्रखण्ड का लाईफ लाईन रोड है;	
3. क्या यह बात सही है कि दोनों सड़क से वाहन वाराणसी (उप0प्र0) के लिए चलते हैं;	
4. यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त दोनों पथों को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कराने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 6/पथ/ता०प्र०(वि०स०) 06–79/2019 6357(S) पटना, दिनांक : 13/7/19

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1440 दिनांक 28.06.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6357(S) पटना, दिनांक : 13/7/19

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6357(S) पटना, दिनांक : 13/7/19

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक-2138

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–100 (BLAQRMS No.–3070) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत तेतरिया प्रखण्ड के तेतरिया–नरवारा पी0डब्लू0डी0 रोड में बहुआरा पोखर के नजदीक स्थित पुलिया विगत 6 महीनों से ध्वस्त है, जिसके कारण आमजनों को आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो सरकार कबतक वर्णित स्थल पर नए पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	विषयांकित पथ में बहुआरा पोखर के नजदीक पुलिया निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। तत्काल डायवर्सन बनाकर यातायात चालू रखा गया है।

अतारांकित-2151

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री रामदेव राय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–109 (BLAQRMS No.–3374) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के मालवी दलसिंगसराय मार्ग में मेहदौली से गुरूदासपुर तक की सड़क का चौड़ीकरण करने का प्रस्ताव विगत 15 वर्षो से लंबित है, जिस कारण लंबित है, जिस कारण भारी वाहनों के साथ–साथ सामान्य गाड़ियों के परिचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि उक्त मार्ग के दोनों ओर चौड़ीकरण किया जा चुका है;	वस्तुस्थिति यह है कि सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।
2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 6/पथ/ता०प्र०(वि०स०) 06–165/2019 6643(S) पटना, दिनांक : 22/7/19

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2010 दिनांक 17.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6643(S) पटना, दिनांक : 22/7/19

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6643(S) पटना, दिनांक : 22/7/19

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक - 2147

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री मो0 तौसीफ आलम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–68 (BLAQRMS No.–2015) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के एल0आर0पी0 चौक, बहादुरगंज से बहादुरगंज बाजार होते हुए चौरासी आ0ई0ओ0 सड़क तक का पथ विगत 5 वर्षों से जर्जर एवं कहीं–कहीं बड़ा गढ्ढ़ा हो जाने के कारण बाजार के पास सड़क पर जल–जमाव हो जाता है, जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के एल0आर0पी0 चौक से बहादुरगंज बाजार होते हुए दिघलबैंक जाने वाली पथ बायसी–अमौर–बहादुरगंज–दिघलबैंक पथ का अंश है, जो ओ0पी0आर0एम0सी0 फेज–2 में स्वीकृत है। संवेदक को कार्य आवंटित हो चुका है।

क्रमांक–2157

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:–ग्राम्य–415 :–

क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत सिकंदरा प्रखंड में नवाब टोली से सरकार बस स्टैंड होते हुए लोहन्डा नहर तक सड़क के किनारे नाल नहीं होने के कारण सड़क पर जलजमाव होता है जिससे वहाँ के ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो सरकार उक्त नाले का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। सिकन्दरा चौक से नवाब टोली जमुई जाने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–333ए का अंश है। सिकन्दरा चौक से सरकारी बस स्टैण्ड होते हुए लोहन्डा नहर तक का पथांश पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत आता है। नवाब टोला से सिकन्दरा चौक तक लगभग 600 मी0 लम्बाई में पुराना नाली ग्राम पंचायत के द्वारा पूर्व में बनाया गया था जो ध्वस्त हो चुका है। अतिवृष्टि होने की स्थिति में नाली से पानी का बहाव नहीं हो पाने के कारण कभी–कभी राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–333ए पर पानी का जमाव हो जाता है। जल जमाव से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–333ए के उपरोक्त पथांश में नाला का निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। एफ0डी0आर0 के तहत स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता–सह–क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पटना को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। स्वीकृति के उपरान्त नाला का निर्माण कार्य करा दिया जायेगा।

क्रमांक-2166

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–102 (BLAQRMS No.–3157) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखंड में हरने से जनकपुर जाने वाली सड़क जर्जर है, जिसके कारण दुर्घटनाएँ होती रहती है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	हरने गाँव के बाद जनकपुर जानेवाली पथ नेपाल सरकार के अधीन है।

क्रमांक-2168

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : 6/पथ/ता0प्र0 (वि0स0) 06–103/2019 6083(S) पटना, दिनांक : 3/7/19

प्रेषक,

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : **माननीय श्री संजय कुमार तिवारी, स०वि०स० द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में पूछा जाने वाला तारां०प्र०सं०–(BLAQRMS No.-1409) का हस्तान्तरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन (छायाप्रति संलग्न) के आधार पर बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न (BLAQRMS No.-1409) ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना से संबंधित है। अतः प्राप्त प्रश्न की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तान्तरित किया जाता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर सभा सचिवालय को ग्रामीण कार्य विभाग अपने स्तर से देने की कृपा करेंगे। इस आशय की सूचना सभा सचिवालय को अलग से दी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6083(S) **पटना, दिनांक** : 3/7/19

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रश्न को पथ निर्माण विभाग की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6083(S) **पटना, दिनांक** : 3/7/19

प्रतिलिपि, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6083(S) **पटना, दिनांक** : 3/7/19

प्रतिलिपि, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक-2169

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री राज कुमार राय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–38 (BLAQRMS No.–1201) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर प्रखंड के वीरपुर ईमली चौक पी0डब्लू0डी0 सड़क से खुरूण्डा पुल होते हुए सकरपुरा ढाला से नयानगर रेलवे स्टेशन तक की सड़क संक्रीण है, जिसके कारण हसनपुर बाजार में हमेशा जाम लगा रहता है, जिससे अपातकालीन स्थिति में आमजनों को परेशानी होती है, यदि हाँ तो सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की उक्त सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर चौड़ीकरण के साथ–साथ पुर्णनिर्माण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

क्रमांक- 2178

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री आबिदुर रहमान, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–03 (BLAQRMS No.–57) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि अररिया प्रखंड के अररिया नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत चांदनी चौक से नवरत्न चौक–जैन धर्मशाला–अररिया प्रखंड कार्यालय होते हुए अररिया कोर्ट स्टेशन तक जिला परिषद की सड़क है;	पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
2. क्या यह बात सही है कि इस पथ पर यातायात दवाब के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जबकि उक्त सड़क के चौड़ीकरण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 6/पथ/ता०प्र०(वि०स०) 06–54/2019 6358(S) पटना, दिनांक : 13/7/19

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1177 दिनांक 21.06.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/7/19

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6358(S) पटना, दिनांक : 13/7/19

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6358(S) पटना, दिनांक : 13/7/19

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/7/19

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक - 2181

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री डॉ0 सी0ऐन0 गुप्ता, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–103 (BLAQRMS No.–645) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि सारण जिला में स्थित जयप्रभा सेतु जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, उसके दोनों मुहाने ध्वस्त हो गये हैं, साथ ही स्लैब, रेलिंग टूट गये हैं एवं पुल पर सैकड़ों गड्ढ़े हो गये हैं, जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है, यदि हाँ तो सरकार उक्त पुल की मरम्मति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि जयप्रभा सेतु जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–19 पर अवस्थित है। उक्त सेतु का रख–रखाव एवं स्वामित्व उत्तर प्रदेश पुल निर्माण विभाग के अधीन है। बिहार के हिस्से का पहुँच पथ ठीक करवा दिया गया है।

क्रमांक - 2189

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री शिवचंद्र राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–107 (BLAQRMS No.–1752) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के देसरी चाँदपुरा से महुआ तक फ्लैंक का निर्माण कार्य 59 करोड़ रूपये की लागत से विगत एक वर्ष पूर्व से कराया जा रहा है, जिसमें मानक के अनुरूप निर्माण सामग्रियों का उपयोग नहीं होने से सड़क की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पर रहा है;	कार्य में मानक के अनुरूप निर्माण सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है, जिसका जाँच प्रमंडलीय गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराया जाता है। विभागीय उड़नदस्ता द्वारा भी पथ की जाँच समय–समय पर कराया जाता है। पथ की गुणवत्ता सही है।
2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषी पदाधिकारी एवं संवेदक पर कार्रवाई करते हुए प्राक्कलन के अनुरूप कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

क्रमांक - 2199

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ–77 (BLAQRMS No.–2401) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला अन्तर्गत पूर्णियां विधान सभा क्षेत्र के एन0एच0–107 आर0के0के0 कॉलेज से रंगभूमि चौक भाया मधुबनी शिवालय चूड़ी पट्टी होते हुए कोरठाबाड़ी चौक तक जाने वाली अतिव्यस्त पथ जर्जर है, जिसके कारण आवागमन में असुविधा होती है;	पुराने पथ अधिग्रहण नीति की समीक्षा कर पथ अधिग्रहण की नई नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। नई पथ अधिग्रहण नीति गठित होने के बाद समीक्षोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
2. यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त पथ का अधिग्रहण पथ निर्माण विभाग में करने के साथ नाला सहित पक्की सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 6/पथ/ता०प्र०(वि०स०) 06–133/2019 6601 (S) पटना, दिनांक : 19/07/19

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1855 दिनांक 12.07.2019 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19/07/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6601(S) पटना, दिनांक : 19/07/19

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19/07/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6601(S) पटना, दिनांक : 19/07/19

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19/07/19
उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक–2204

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री राज कुमार राय, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:–ग्राम्य–405 :–

क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत बिथान प्रखण्ड स्थित दर्जिया–फुहिया बाँध से करेह नदी के दक्षिणी तटबंध, जगमोहरा बाँध तक लगभग 68 करोड़ की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति विगत छः माह पूर्व प्रदान की गयी थी, परन्तु निर्माण हेतु निविदा एवं अन्य प्रक्रिया आज तक पूर्ण नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है;	वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड अन्तर्गत दर्जिया–फहिया बांध से करेह नदी के दक्षिणी तटबंध, जगमोहरा बांध तक पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति अन्तर्गत निविदा की गयी है तथा कार्य संवेदक को दिनांक–17.07.2019 को आवंटित हुआ है। वर्षा के मौसम के बाद यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।
2. यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त स्वीकृत पुल के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कर, कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

क्रमांक-2211

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

संः– पथ–98 (BLAQRMS No.–2977) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि बांका जिला के बौंसी–दुमका पथ में सुखनियां नदी पर बना पुल जर्जर हो गया है, जिससे आवागमन करने वाली आम जनता को भयव्याप्त रहता है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त नदी पर निर्मित पुल के समानांतर नये पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि बाँका जिले के अन्तर्गत प्रश्नाधीन बौंसी–दुमका पथ, भागलपुर–हंसडीहा पथ का पथांश है। इस पथ के 52वें कि0मी0 में सुखनिया नदी पर अवस्थित आर0सी0सी0 पुल (30 x 5.5 मीटर) का प्राक्कलन तैयार किया गया है। अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

9DHIN0-2212

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : 6/पथ/ता0प्र0 (वि0स0) 06–89/2019 6109(S) पटना, दिनांक : 4/7/19

प्रेषक,

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : **माननीय श्री नीरज कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में पूछा जाने वाला तारां०प्र०सं०–(BLAQRMS No.-1290) का हस्तान्तरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन (छायाप्रति संलग्न) के आधार पर बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न (BLAQRMS No.-1290) ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना से संबंधित है। अतः प्राप्त प्रश्न की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु हस्तान्तरित किया जाता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर सभा सचिवालय को ग्रामीण कार्य विभाग अपने स्तर से देने की कृपा करेंगे। इस आशय की सूचना सभा सचिवालय को अलग से दी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6109(S) **पटना, दिनांक :** 4/7/19

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रश्न को पथ निर्माण विभाग की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6109(S) **पटना, दिनांक :** 4/7/19

प्रतिलिपि, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6109(S) **पटना, दिनांक :** 4/7/19

प्रतिलिपि, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

क्रमांक–2225

षोडश बिहार विधान सभा का त्रयोदश सत्र के लिए माननीय श्री महेश्वर प्रसाद यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.07.2019 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न।

सं०:– पथ– (BLAQRMS No.–2325) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत शर्फद्दीनपुर से केवटसा जाने वाली पथ जो बंदरा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है, उसको ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में दो वर्ष एवं अधिग्रहित किया था;	विषयांकित पथ शर्फुद्दीनपुर नगर केवटसा पथ है। इस पथ के 5.50 मी0 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य RCP LWE योजना अन्तर्गत स्वीकृत है, जिसकी कुल लम्बाई 18.60 कि0मी0 है। इस कार्य का एकरारनामा दिनांक–07.06.2019 को कर लिया गया है, जिसका एकरारनामा सं0–SBD13/LWE Of 2019-20 है, एकरारनामा की राशि रू0 18,27,09,815.00/–(अठारह करोड़ सताईस लाख नौ हजार आठ सौ पंद्रह) रूपये मात्र है एवं संवेदक शुभम कंस्ट्रक्सन है। कार्य प्रारम्भ की तिथि दिनांक–08.06.2019 तथा कार्य समाप्ति की तिथि–07.12.2020 है। मिट्टी कार्य शुरू किया गया है। बरसात के बाद कार्य की प्रगति में तेजी लाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य है।
2. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल–1 मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 28.04.2018 को उक्त पथ के निर्माण की निविदा की गयी थी एवं इस पथ के निर्माण हेतु शुभम कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को कार्य आवंटित किया गया था परन्तु कंपनी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	